न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 28/2022
दायर दिनांक : 31.05.2022
निर्णय दिनांक : 30.06.2022

उनवान

लक्ष्मीनारायण पुत्र हरसी जाति मीणा निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 1.93 है0 स्थित है। जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। प्रार्थी की उक्त भूमि के चारों ओर सरकारी भूमि है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करता है और अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली जब भी लगाता है तो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले उसको तोड देते है, जिससे प्रार्थी की भूमि की फसल को आवारा जानवर नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होता है। प्रार्थी की उक्त भूमि का पूर्व में भी सीमाज्ञान कराया जा चुका है तथा अतिक्रमणकारियों को कई बार समझाया कि प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है आप लोग अब किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करें और प्रार्थी की भूमि की फसल को खराब नहीं करें लेकिन वे नहीं मानते है और प्रार्थी से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों द्वारा लगातार विवाद किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना–पत्र में अंकित ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 1.93 है0 लक्ष्मीनारायण पुत्र हरसी जाति मीणा सा0 देह राहिन यूको बैंक शाखा दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0 नं0 91 के पूर्व दिशा में ख0 नं0 90 स्थित है, जो कि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र हरजी जाति मीना के नाम दर्ज है। उत्तर दिशा में ख0 नं0 93, दक्षिण दिशा में ख0 नं0 67 एवं 89 तथा पश्चिम दिशा में ख0 नं0 92 एवं 52 है जो कि चारागाह भूमि है। भूमि मौके पर खाली है। पत्थरगढी किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 1.93 है0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 1.93 है0 वाके ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 91 के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का क[illegible] संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस [illegible] जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सु[illegible]या तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)